न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- मनोज सिंह फौजदार, आर.जे.एस.

मूल फौजदारी प्रकरण सं० :- 23/516/2021 (23/166/2015)

एफआईआर सं० :- 81/2015 थाना नौगांवा, जिला अलवर

सीआईएस नं० :- 166/2015

राजस्थान राज्य

.....परिवादी

ब ना म

मौसम खां पुत्र फजरू खां उम्र करीब 22 साल निवासी ग्राम घिरावट पुलिस थाना फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह (हरि०)

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः-

1. राज. सरकार की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार यादव।

नि र्ण य दिनांकः- 16-03-2026

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.15 को श्री रामपालसिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह माता कालोनी बागपत का रहने वाला है मृतक मुकेश पुत्र जगदीश जाति उपाध्याय उसका भाई लगता था जो दिनांक 30.04.15 को उसके साथियों के साथ राजस्थान में मुरली मानव संस्था के लिये चन्दा उगाने आये थे तब 11.30 बजे उनके द्वारा गाडी यूके 08 वाई 6604 बोलेरो नौगावां होटल के पास रोकने पर मुकेश होटल पर खाने की पूछने गया था जिस दौरान एक टैप्पू न० आरजे 02 यूए 3163 के चालक ने टैप्पू को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मुकेश को टक्कर मार दी जिससे वह मौके पर ही गिर गया चोट लगने से मौके पर ही उसकी मृत्यू हो गई इत्यादि.....।

2. थानाधिकारी नौगांवा द्वारा एफआईआर सं० 81/2015 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० में दर्ज की गई एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त मौसम खां के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304A प्रमाणित पाए जाने पर जरिए अभियोजन अधिकारी चालान प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अभियुक्त मौसम खां के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर मूल फौजदारी किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० का अपराध मौखिक अभियोग सार सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझकर उक्त आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन द्वारा पी०ड० 1 भागचंद, पी०ड० 2 नवीन कुमार, पी०ड० 3 शिवम, पी०ड० 4 संजीव कुमार, पी०ड० 5 फजरू, पी०ड० 6 भगवत प्रसाद, पी०ड० 7 जुम्मे खां पी०ड० 8 डॉ० कुमदेश को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी-3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, नक्शामौका प्रदर्श पी-5, फर्द जब्ती टेम्पो प्रदर्श पी-6, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी-7, नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट जुम्मे खान व फजरू प्रदर्श पी-8 व पी-9, नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट प्रदर्श पी-10, एक्सीडेंट निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11, बयान धारा 161 सीआरपीसी नवीन, शिवकुमार व संजीव कुमार क्रमश प्रदर्श पी-12 लगायत पी-14 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त मौसम खां की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. लेखबद्ध की गई, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही।

6. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निर्णीत करने हैंः-

1. **क्या अभियुक्त मौसम खां ने दिनांक 30-04-2015 को समय करीब 11.30 बजे के आसपास स्थान दिल्ली फिरोजपुर हाइवे पर स्थित होटल के पास वाहन टेम्पो नंबर आरजे 02 यूए 3163 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर अपनी दिशा में खड़े मजरूब मुकेश को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो**

आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है एवं एतद्द्वारा धारा 279, 304 ए भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है ?

2. यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित है तो उसके लिए समुचित दंड क्या होगा ?

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास होने के बावजूद अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अपराध की विषयवस्तु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान में से किसी भी गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद स्पष्ट तौर पर नहीं की है जिससे की अभियोजन कहानी की एक स्वर में पुष्टि हो सके तथा परीक्षित करवाए गए मौके के गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है। अतः अभियोजन साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साक्षियों की साक्ष्य का विधिक मूल्यांकन तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है किः-

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये मौके के गवाह पी०ड० 2 नवीन कुमार, पी०ड० 3 शिवम व पी०ड० 4 संजीव कुमार जो कि प्रकरण में चश्मदीद व मौके के गवाह बताये गये हैं ये गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने मृतक मुकेश की एक टेम्पो से टक्कर लगने की ताईद तो की है किन्तु इस बात से अस्वीकार किया है कि टक्कर मारने वाले टेम्पो के नंबर आरजे 02 यूए 3163 रहे हो तथा उसके चालक मौसम द्वारा तेजी व लापरवाही से टेम्पो को चलाकर टक्कर मारी हो जिसके कारण मुकेश की मृत्यु हुई हो।

11. गवाह पी०ड० 5 फजरू धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस दिये जाने का गवाह है। इस गवाह ने न्यायालय के समक्ष परीक्षण में वक्त घटना टेम्पो को कौन चला रहा

था इस बारे में जानकारी होने से इनकार किया है तथा टेम्पो को उसके द्वारा जुम्मे खां से खरीदना व खरीदने के 6 माह बाद ही किश्त नहीं चुकाने पर जुम्मे खां व फाइनेंस कंपनी द्वारा छीन कर ले जाना बताया है। गवाह पी०ड० 7 जुम्मे खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस दिया गया था। टेम्पो को घटना के समय फजरू का लड़का मौसम चला रहा था किन्तु दौराने प्रतिपरीक्षण इस गवाह ने कथन किया है कि वक्त घटना वह मौके पर नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि वक्त घटना टेम्पो को कौन चला रहा था।

12. गवाह पी०ड० 8 डॉ० कुमदेश जो कि प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी होकर औपचारिक प्रकृति का गवाह है इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 30-04-2015 को मृतक मुकेश का पोस्टमार्टम किये जाने का कथन किया है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण मस्तिष्क में चोट आना बताया है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि मृतक के सिर पर टायर वगैरह के निशान नहीं थे। गवाह पी०ड० 6 भगवत प्रसाद टेम्पो आरजे 02 यूए 3163 को मय कागजात जरिये फर्द जब्ती जब्त किये जाने का औपचारिक प्रकृति का गवाह है।

13. गवाह पी०ड० 1 भागचंद जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान संबंधी औपचारिक कथन किये हैं तथा दौराने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि उसने इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया कि दुर्घटना से छह माह पहले टेम्पो का रजिस्टर्ड मालिक व फाइनेंस कंपनी मिलकर टेम्पो को फजरू से छीन ले गये हो।

14. अतः पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट है कि प्रकरण में मौके के चश्मदीद बताये गये गवाहान् पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। स्वयं परिवादी सतपाल न्यायालय द्वारा बारबार तलब् किये जाने के पश्चात् भी बयान हेतु हाजिर अदालत नहीं आने के कारण परीक्षित नहीं कराया जा सका है। जो गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये हैं उनमें से किसी भी गवाह ने वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले टेम्पो के नंबर आरजे 02 यूए 3163 होने से इनकार किया है तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक मौसम रहा हो इस बारे में जानकारी होने से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त मौसम खां के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त मौसम खां को उक्त अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:: आ दे श ::

15. अतः **अभियुक्त मौसम खां पुत्र फजरू खां उम्र करीब 22 साल निवासी ग्राम घिरावट पुलिस थाना फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह (हरि०)** को धारा 279, 304 ए भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से बाद विचारण संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए द०प्र०सं० के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 10,000/-रूपये के बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

17. बाद गुजरने मियाद अपील प्रकरण में पूर्व में सुपुर्दगी पर छोड़े वाहन टेम्पो नंबर आरजे 02 यूए 3163 व असल कागजात का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(मनोज सिंह फौजदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर

18. निर्णय आज दिनांक 16-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मनोज सिंह फौजदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर